GOVERNMENT OF HARYANA/हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana134109(India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालयः शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्सः 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

सेवा में

राज्य के सभी,
ज़िला शिक्षा अधिकारी,
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी,
खण्ड शिक्षा अधिकारी,
जिला परियोजना समन्वयक।

यादी क्रमांकः– KW 3/1-2016 ACD (1)
दिनांकः– 22.02.2021

विषयः– **Reopening of schools from 24.02.2021 for the students of 3rd to 5th in the context of COVID-19.**

*****

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में उल्लेख है कि कोविड–19 की महामारी के चलते विद्यार्थियों की शिक्षा के महत्व एवं गम्भीरता को समझते हुए सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब कक्षा तीसरी से पांचवीं (3rd to 5th) के विद्यार्थियों के लिए 24 फरवरी, 2021 से प्रतिदिन 3 घन्टे प्रातः 10:00 बजे से 1:30 बजे के मध्य सरकारी तथा प्राइवेट विद्यालयों को पुनः आरम्भ कर दिया जाए। इसके तहत विद्यालय में आने से पूर्व विद्यार्थी द्वारा अपने माता–पिता/अभिभावकों की लिखित अनुमति विद्यालय मुखिया/कक्षा अध्यापक को देनी अनिवार्य होगी। ऐसे विद्यार्थी जो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन सुविधा जारी रहेगी। ऐसे विद्यार्थियों को विद्यालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा तथा न ही विद्यालय से उनका नाम काटा जाएगा।

विद्यालय में प्रवेश, ठहराव तथा पठन–पाठन के दौरान हरियाणा आपदा प्रबन्धन विभाग के पत्र क्रमांक DMC-SPO-2020/6017 दिनांक 15.09.2020 की अनुपालना में जारी स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य Protocol जैसे विद्यार्थियों व अध्यापकों के तापमान की दैनिक जाँच पूर्व की भांति जारी रहेगी तथा सामान्य से अधिक तापमान पाये जाने पर स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे सभी सम्बन्धित का डाटा सम्बन्धित विद्यालय दैनिक आधार पर विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गए मोबाइल एप्प पर भरा जाएगा तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाये गए नोडल अधिकारी के साथ–साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं उपायुक्त कार्यालय को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध करवाया जाएगा। पूरे विद्यालय परिसर को कक्षाओं के स्तर के अनुसार अलग–अलग विंग (सीनियर सैकेण्डरी, सैकेण्डरी, मिडल तथा प्राथमिक) में बांटा गया है। SOP के सभी नियमों का पालन करने के उपरान्त भी यदि कोई विद्यार्थी कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो विद्यालय मुखिया द्वारा विद्यालय प्रबन्धन समिति के सहयोग से उच्च अधिकारीगण के संज्ञान में लाकर उसकी कक्षा के पूरे विंग को दस दिन के लिए बन्द करने का निर्णय लिया जाएगा तथा विद्यालय परिसर को सैनेटाइज कर दिया जाएगा। यदि एक से अधिक विंग के विद्यार्थी पॉजिटिव आते है तो विद्यालय को दस दिन के लिए बन्द करने की यह प्रक्रिया पूरे विद्यालय के लिए अपनाई जाएगी।

हरियाणा आपदा प्रबन्धन विभाग के पत्र क्रमांक DMC-SPO-2020/11573 दिनांक 01.10.2020 की अनुपालना में जारी स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य Protocol जैसे – विद्यालयों को खोलने से पूर्व की सावधानियां, अनुपालना की आवश्यक कार्यवाही, साफ–सफाई, सेनिटेशन, टास्क/प्रबन्ध समूहों के गठन, बच्चों की कक्षा में/बाहर बैठने की योजना, विद्यालय में प्रवेश, निकास एवं ठहराव के दौरान के नियम, शौचालय उपयोग के लिए निर्देश, समय–सारणी तथा विभिन्न अन्य गतिविधियों के बारे में दिशा–निर्देश, सामाजिक दूरी की पालना के नियम, मास्क की अनिवार्यता, विद्यालयों में प्रार्थना एवं अन्य आयोजनों बारे दिशा–निर्देश, विद्यार्थियों की उपस्थिति, अवकाश आदि बारे निर्देश, **सुरक्षित यातायात एवं विद्यालय पहुँच बारे निर्देश, सुरक्षित होस्टल** आदि के निर्देशों के साथ–साथ विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से

अपेक्षाओं की विस्तृत जानकारी साथ संलग्न है जिसकी समुचित अनुपालना प्रत्येक विद्यार्थी, विद्यालय के लिए अनिवार्य है।

अतः आपको आग्रह किया जाता है कि अपने क्षेत्राधिकार के सभी सरकारी व प्राइवेट विद्यालयों में उपरोक्तानुसार अनुपालना सुनिश्चित करें।

नोटः– राज्य के सरकारी विद्यालयों में चल रही मध्याहन भोजन योजना के सन्दर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि कोविड–19 त्रासदी के कारण Cooked Food के स्थान पर अपनाया गया सूखा राशन वितरण करने का कार्यक्रम, आगामी ओदश तक पूर्व की भांति जारी रहेगा। Cooked Food के सन्दर्भ में निर्णय विद्यालय प्रबन्धन समीतियों से चर्चा करने के उपरान्त लिया जाएगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

सहायक निदेशक (शैक्षणिक)
कृतेः महानिदेशक मौलिक शिक्षा
हरियाणा पंचकूला

पृष्ठांकन क्रमांक समः **दिनांक, पंचकूला 22.02.2021**

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वरिष्ठ सचिव, प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. वरिष्ठ सचिव, माननीय शिक्षा मन्त्री, हरियाणा, चण्डीगढ़।
3. वरिष्ठ सचिव, माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, हरियाणा।
4. वरिष्ठ सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हरियाणा।
5. वरिष्ठ सचिव, माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़।
6. चेयरमैन, हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग।
7. हरियाणा राज्य के सभी मण्डलायुक्त।
8. वरिष्ठ सचिव, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, हरियाणा।
9. निजी सहायक, माननीय महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
10. निजी सचिव, माननीय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
11. सहायक प्रबन्धक, माननीय राज्य परियोजना निदेशक, HSSPP, हरियाणा, पंचकूला।
12. निजी सचिव, हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त एवं अतिरिक्त उपायुक्त।
13. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
14. हरियाणा राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
15. निदेशक SCERT, हरियाणा, गुरूग्राम।

सहायक निदेशक (शैक्षणिक)
कृतेः महानिदेशक मौलिक शिक्षा
हरियाणा पंचकूला